बिहार न्यायिक अकादमी

गायघाट, पटना

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 19 दिसम्बर 2023

माननीय् मुख्य न्यायमूर्ति सह मुख्य संरक्षक बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार सह मुख्य संरक्षक बिहार न्यायिक अकादमी में अधिवक्ताओं के लिए 40 घंटो का मध्यस्था प्रशिक्षण

कार्यक्रम का उद्घाटन

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्था और सुलह परियोजना समिति वर्ष 2005 में अपनी स्थापना से पूरे देश में मध्यस्था एवं सुलह के प्रभावी कार्यन्वयन का निरीक्षण कर रही है। इसी अनुक्रम में आज दिनांक 19.12.2023 को प्रातः 09:15 बजे बिहार न्यायिक अकादमी के प्रांगण में मुख्य अतिथि माननीय् न्यायामूर्ति श्री के0 विनोद चन्द्रन, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति सह मुख्य संरक्षक बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकारी सह मुख्य संरक्षक बिहार राज्य न्यायिक अकादमी एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकारी के द्वारा अधिवक्ताओं के लिए 40 घंटों का मध्यस्था परीक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में माननीय न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह **J.A.D-1** पटना उच्च न्यायालय सह कार्यकारी अध्यक्ष बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकारी, पटना माननीय् श्री आशुतोष कुमार **J.A.D-2** पटना उच्च न्यायालय सह अध्यक्ष, बिहार राज्य न्यायिक अकादमी, माननीय श्री न्यायूर्ति विपुल एम0 पंचोली, पटना उच्च न्यायालय सह अध्यक्ष पटना उच्च न्यायालय, विधिक सेवा समिति के माननीय श्री न्यायामूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बैजन्थ्री, पटना उच्च न्यायालय अध्यक्ष सह मध्यस्था समिति एवं पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण की गौरवमयी उपस्थिति में उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्य न्यायामूर्ति एवं अन्य माननीय् न्यायमूर्तिगण द्वारा दीप प्रज्वलन से किया गया। अपने सम्भाषण में माननीय श्री मुख्य न्यायामूर्ति के0 विनोद चन्द्रन ने मध्यस्थता के महत्व को इंगित करने हुए महाभारत में श्रीकृष्ण दुर्योधन से 5 गॉव मॉगने की कथा का संदर्भ दिया। साथ ही उन्होनें मध्यस्थता को न्यायनिर्णयन जितना ही महत्वपूर्ण बताया और इसी अनुक्रम में बताया कि मध्यस्थ की मानसिकता '' मधुर'' और कोमल'' होनी चाहिए एवं मध्यस्थता अधिनियम 2023 के संदर्भ में भी इस कार्यक्रम की सराहना की।

अपने संभाषण में माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह ने उस समय को याद किया जब उन्होनें स्वयं ऐसे ही एक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था, और कहा कि मध्यस्थता की सफलता

मध्यस्थ द्वारा किए गए ईमानदार प्रयास में निहित है। साथ ही बताया कि मध्यस्थता एक विशिष्ठ तकनीक है, ना कि समझौता मात्र है।

माननीय श्री न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने कहा कि विवाद न्यायालय तक पहुॅचने के पूर्व ही हल हो सकते हैं और इसमें मध्यस्थ को एक नई सोच से सुलह करवाने के लिए सोचना चाहिए और इस कार्यक्रम द्वारा परीक्षण के बाद उनकी अधिवक्ताओं की सोच में बदलाव होगा। माननीय श्री न्यायामूर्ति विपिन एम0 पंचोली ने हाल ही में पारित मध्यस्थता अधिनियम, 2023 का अधिनियम न्यायालयवस्था में मध्यस्थों की भूमिका में वृद्धि करेगा।

कार्यक्रम में स्वागत भाषण सुश्री शिल्पी सोनीराज सदस्य सचिव बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकारी एवं धन्यवाद ज्ञापन श्री अशोक कुमार पाण्डेय, निदेशक बिहार न्यायिक अकादमी, पटना ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस कार्यक्रम का संचालन सुश्री नेहा नीहारिका सहायक निबंधक बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना ने किया। इस इस कार्यक्रम में पटना उच्च न्यायालय महानिबंधक एवं अन्य न्यायिक अधिकारी, विधि सचिव बिहार सरकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना, बिहार न्यायिक अकादमी के न्यायिक पदाधिकारी, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के न्यायिक पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय, के मध्यस्था केन्द्र के अधिवक्तागण, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति के द्वारा नामित सिनियर ट्रेनर एवं पोटेंशियल ट्रेनर कार्यक्रम में उपस्थित थे।

इस उदघटन समारोह के बाद उपरांत पॉच दिवसीय 40 घण्टों का मध्यस्था प्रशिक्षण 19 दिसम्बर से 23 दिसम्बर तक आयोजित किया जायेगा।